"ग्रोलर्स" के विषय में आगे:

- मात्रा: चार (4) लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन बेचने की अनुमति है
- वितरण: कंटेनरों की आपूर्ति और उसमें भरने (शराब) का काम, दोनों परमिट धारक द्वारा होना चाहिए (भरने के लिए उपभोक्ता खुद के कंटेनर नहीं ला सकते हैं)। साथ ही, वे कंटेनर साफ और स्वच्छ होने चाहिए।

कृपया ध्यान दें: कानून वितरकों को कंटेनर उपलब्ध कराने या बेचने की अनुमति देता है।

शराब पार्सल करना

आप सुरक्षित रूप से सील किए गए शराब के कंटेनर बेच सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि शराब उत्पादक के मूल कंटेनर में हो, लेकिन आप जिस कंटेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिपिंग होल या स्ट्रॉ होल वाला ढक्कन नहीं होना चाहिए। एक कर्मचारी द्वारा शराब को एक बैग में रखा जाना चाहिए। शराब के साथ उस परिसर में बना भोजन भी होना चाहिए। शराब की मात्रा: 196 औंस बियर; 1 लीटर शराब; 1.5 लीटर वाइन। आपको सभी स्थानीय नियमों का भी पालन करना चाहिए।

शराब का परमिट स्थानांतरणीय *नहीं* है

मालिकाना हक या स्टॉक के स्थानांतरण से जुड़े किसी भी तरह के परिवर्तन की जानकारी पहले ही विभाग को दी जानी चाहिए। कारोबार के बेचने या स्थानांतरित करने पर आपका शराब परमिट रद्द कर दिया जाएगा। नए कारोबारियों को किसी भी तरह की शराब बेचने से पहले अपने परमिट के लिए आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा।

शराब केवल अधिकृत डीलर से ही खरीदी जा सकती है

आप केवल अधिकृत थोक विक्रेता या Liquor Control Division से लाइसेंस प्राप्त खुद वितरण करने वाले उत्पादक से ही शराब खरीद सकते हैं।

एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही बीयर खरीदी जानी चाहिए

सभी थोक विक्रेताओं का एक अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उन्हें बीयर के कुछ ब्रांड बेचने की अनुमति होती है। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही वितरक से खरीदारी कर रहे हैं।

अन्य परमिट

एक मानक कैफे परमिट ("बैकर") धारक के पास परिसर के बाहर केटरिंग करने का परमिट, एक रेस्तरां का परमिट या मौसम के हिसाब से खुले में केटरिंग करने का परमिट हो सकता है।

ध्यान दें: यह मार्गदर्शिका CGS § 30-22a(a) के तहत कैफे परमिट पर लागू होती है, और दूसरी तरह के कैफे परमिट (जैसे, रेलमार्ग के कैफे, विश्वविद्यालय के कैफे आदि) या कनेक्टिकट क्राफ्ट कैफे परमिट पर पूरी तरह से लागू नहीं होती है।

आपका eLICENSE खाता

विभाग द्वारा दिए गए यूज़रनेम से अपना eLicense खाता बनाएं। आप अपने eLicense खाते का इस्तेमाल परमिट के नवीकरण के लिए, उसे रद्द करने के लिए, अपनी संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेट करने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए और साथ ही अपने परमिट में कोई बदलाव करने के लिए कर सकते हैं।
www.elicense.ct.gov

अपडेटेड जानकारी रखें

विभाग के साथ संपर्क संबंधी जानकारी को अपडेटेड रखने के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसमें ईमेल पता और टेलीफोन नंबर जैसी जानकारी शामिल है। विभाग आपको सूचना देगा, आपके परमिट भेजेगा, और ईमेल के जरिए आपको नवीकरण कराने के लिए याद दिलाएगा।

अगर रेस्तरां परमिट से जुड़े कोई प्रश्न हैं, तो कृपया हमें यहां कॉल करें:

एजेंट जांच/शिकायतें	(860) 713-6210
नए आवेदन	(860) 713-6200
नवीकरण	(860) 713-6200
ब्याज / स्टॉक का स्थानांतरण	(860) 713-6210

यह पैम्फलेट केवल एक छोटी सी संदर्भ मार्गदर्शिका है। अपने पैकेज स्टोर परमिट की पूरी जानकारी के लिए, Connecticut General Statutes (कनेक्टिकट सामान्य क़ानून) और Connecticut State Regulations (कनेक्टिकट राज्य विनियम) के टाइटिल 30 को देखें।

Rev. 5/2022

कनेक्टिकट राज्य

DEPARTMENT OF CONSUMER PROTECTION (उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

LIQUOR CONTROL DIVISION (शराब नियंत्रण विभाग)

450 Columbus Blvd, Suite 901

Hartford, CT. 06103

वेबसाइट: http://www.ct.gov/dcp/liquorcontol

कैफे के लिए शराब का परमिट

छोटी संदर्भ मार्गदर्शिका

हमारा उद्देश्य:
अपने परमिट धारकों को सूचित करना और शराब की सुरक्षित बिक्री को बढ़ावा देना।

Ned Lamont
राज्यपाल

Michelle H. Seagull
कमिश्नर

M. Caitlin S. Anderson
निदेशक

वेबसाइट: http://www.ct.gov/dcp/liquorcontrol
ईमेल: dcp.liquorcontrol@ct.gov
फ़ैक्स: (860) 706-1208

कैफे के संचालन का वैध समय**

सोमवार से गुरुवार तक

शराब की अनुमति: सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

खुला हो सकता है, पर शराब नहीं मिलेगी: सुबह 6 बजे से 9 बजे तक

शुक्रवार और शनिवार

शराब की अनुमति: सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

खुला हो सकता है, पर शराब नहीं मिलेगी: सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

रविवार

शराब की अनुमति: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक

खुला हो सकता है, पर शराब नहीं मिलेगी: सुबह 6 बजे से दोपहर 10 बजे तक

वर्जित

कैफे को बंद रखने की अवधि के दौरान परिसर खुला नहीं रहना चाहिए। परिसर को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और कैफे की सेवाएं भी भंद होनी चाहिए।

स्थानीय शहर और नगर के नियम अधिक प्रतिबंधात्मक हो सकते हैं

परमिट परिभाषा Connecticut General Statutes देखें § 30-22a(a)

परमिट से जुड़ी शर्तें

वार्षिक नवीकरण आपका परमिट हर साल नवीनीकृत किया जाना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर एक रिमाइंडर ईमेल भेजा जाएगा। आपके परमिट पर समाप्ति तिथि भी छपी होती है। ***नवीकरण की कार्यवाही के हिस्से के तौर पर आपके स्थानीय फायर मार्शल द्वारा हर साल आपका निरीक्षण किया जाना चाहिए।***

परमिट रिकॉर्ड करना आपका नया परमिट हर साल टाउन क्लर्क के कार्यालय में दाखिल किया जाना चाहिए। क्लर्क मूल परमिट पर मुहर लगाएगा और एक कॉपी फाइल में रखेगा। परमिट तब तक

परमिट को फ्रेम करना और सामने लटकाना आपके शराब का परमिट सुरक्षित रूप से एक फ्रेम में रखा जाना चाहिए और स्टोर के अंदर ऐसी जगह पर टंगा होना चाहिए जहाँ से जनता उसे देख सके।

परमिट धारक के हस्ताक्षर परमिट धारक का नाम उस चिन्ह पर लिखा होना चाहिए जो परिसर के मुख्य दरवाज़े के बगल में टंगा हो और फुटपाथ या सड़क से दिखाई देता हो।

उदाहरण के लिए: Michael Brooks
परमिट धारक

वितरण किसी भी परमिट धारक को तब तक शराब नहीं मिलेगी जब तक कि माल मिलने पर दुकान का मालिक दुकान के नाम, परमिट धारक के नाम और कर्मचारी के हस्ताक्षर या उसके नाम की जानकारी वाले बिल पर हस्ताक्षर नहीं करता है। एक रबर स्टाम्प लगाने की अनुमति है।

रबर स्टाम्प के उदाहरण:

द्वारा प्राप्त
Main Street Liquors
Michael Brooks, परमिट धारक
तिथि: _______________
द्वारा: _______________

शराब के बिल दुकान पर शराब के बिल का 2 साल का रिकॉर्ड रखना होगा। बिल को कहीं और रखने के अनुरोध पर लिखित अनुमति दी जा सकती है।

शराब का भंडारण ताला लगाने लायक एक स्वीकृत जगह होनी चाहिए जो शराब के पूरे स्टॉक को एक जगह रखने के लिए पर्याप्त हो।

आयु विवरण फ़ॉर्म एक कर्मचारी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसकी उम्र उसके आयु विवरण फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त हो। इस फ़ॉर्म का इस्तेमाल केवल दिखाए गए पहचान पत्र के साथ होता है। भरे हुए आयु विवरण फ़ॉर्म को स्टोर पर रखना चाहिए।

ड्राफ़्ट बियर आपके टैप सिस्टम की बियर लाइनों को हर हफ्ते रिकॉर्ड कार्ड पर साफ और दर्ज किया जाना चाहिए। टैप लीवर उसी ब्रांड का होना चाहिए जो कि केग से निकाला जा रहा हो (जब तक कि साधारण हैंडल का इस्तेमाल न किया गया हो)।

रीफिलिंग शराब और वाइन की बोतलों को रिफिल नहीं किया जा सकताहै, भले ही वे एक ब्रांड के हों। शराब और वाइन को उसके मूल कंटेनर से डाला जाना चाहिए जैसा कि थोक व्यापारी या उत्पादक से प्राप्त होता है।

निषिद्ध बिक्री नाबालिगों को बिक्री। (21 वर्ष से कम की आयु)
नशे में धुत व्यक्ति को बिक्री।
निर्धारित वैध समय के पहले या बाद में बिक्री।
दूसरे शराब परमिट धारक को बिक्री।

*****ध्यान दें: यदि आपको शक है कि खरीदार नाबालिग है या नशे में है तो आप बिक्री से इनकार कर सकते हैं।*****

धूम्रपान सभी प्रकार का धूम्रपान निषिद्ध है, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम शामिल हैं। ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक (1) सिगरेट, (2) सिगार, (3) सिगारिलोस, (4) पाइप, (5) और हुक्का शामिल हैं।

कर्मचारी एक कर्मचारी की उम्र 16 साल हो सकती है, लेकिन. शराब बेचने और परोसने के लिए उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।

दैनिक रिकॉर्ड आपको परिसर के दैनिक रिकॉर्ड के साथ-साथ भोजन और शराब की कुल बिक्री का मासिक रिकॉर्ड रखना होगा। ये रिकॉर्ड दो साल तक का होना चाहिए।

भोजन की आवश्यकता आपको अपने परिसर के खुले रहने के अधिकांश समय के दौरान ग्राहकों के खाने के लिए भोजन की बिक्री उपलब्ध रखनी होगी। परिसर में या उसके आस-पास स्थित बाहरी विक्रेताओं द्वारा भोजन बिक्री इस शर्त के अनुरूप है।

निषिद्ध पेय प्रचार

ओपन बार जब तक कि किसी ग्राहक द्वारा एक निजी पार्टी के लिए एक क्षेत्र किराए पर नहीं लिया गया हो तब तक इसकी अनमति नहीं है।

पहचान करना अगर शराब की बिक्री की शर्तें उम्र, लिंग, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, या दूसरे संरक्षित वर्गीकरण के आधार पर लोगों की पहचान करता है तो "लेडीज़" नाइट्स आदि निषिद्ध हैं। किसी भी तरह का स्वीकार्य प्रचार (जैसे, "हैप्पी आवर") सभी ग्राहकों पर लागू होना चाहिए।

शराब पीने का खेल कोई भी ऐसा खेल स्वीकृत नहीं है जिसमें शराब पीना या पुरस्कार के तौर पर शराब देना शामिल हो।

बॉटमलेस "बॉटमलेस मिमोसास", "ऑल यू कैन ड्रिंक हैप्पी आवर" आदि निषिद्ध प्रचार हैं।

जुआ

जब तक CT Lottery Corporation द्वारा अनुमति नहीं दी जाती और DCP द्वारा लाइसेंस नहीं मिलता है, तब तक किसी भी प्रकार के जुए (जैसे पासा खेल, स्पोर्ट्स पूल, स्लॉट मशीन) की अनुमति नहीं है।

शराब की अनुमति है

आप एक व्यक्ति को एक बार में दो शराब परोस सकते हैं। एक पिचर या वाइन की बोतल एक से ज्यादा लोगों को परोसी जानी चाहिए।

परिसर के बाहर ड्राफ़्ट बीयर (ग्रोलर्स) की बिक्री

परिसर के बाहर की खपत के लिए सीलबंद कंटेनरों में ड्राफ़्ट बियर बेचने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत है:

- बिक्री का वैध समय (पैकेज स्टोर के जैसा): सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक; रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक *(*जब तक कि स्थानीय अध्यादेश द्वारा अन्यथा प्रतिबंधित न किया जाए)*